झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 01 / स्था॰(पदस्थापन)–11–24 / 2019............................... / राँची, दिनांक : ..../

–: आदेश :–

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना सं॰–2788 दिनांक 10.07.2019 द्वारा श्री नीलमणि तिर्की, मुख्य अभियंता एवं श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल, कार्यपालक अभियंता की सेवानिवृति की तिथि क्रमशः दिनांक 30.11.2019 एवं 31.12.2019 होने के कारण सेवा पैतृक विभाग (जल संसाधन विभाग) को वापस की गयी है। उक्त के क्रम में श्री नीलमणि तिर्की, मुख्य अभियंता एवं श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल, कार्यपालक अभियंता दिनांक 11.07.2019 से पदस्थापन की प्रतीक्षा में है।

2. श्री आलोक कुमार सहायक अभियंता द्वारा आई॰आई॰टी॰ रूड़की में पी॰एच॰डी॰ कोर्स पूरा करने के उपरांत विभाग में योगदान दिया गया है एवं दिनांक 08.07.2019 से पदस्थापन की प्रतीक्षा में है।

3. डब्लू॰पी॰(एस॰)नं॰–35 / 2019 रघुनन्दन सिंह यादव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.01.2019 को पारित न्यायनिर्णय के अनुपालन में श्री रघुनन्दन सिंह यादव, कार्यपालक अभियंता (भवन निर्माण विभाग में पदस्थापित) को विभागान्तर्गत पदस्थापित किया जाना है।

4. दिनांक 24.07.2019 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की बैठक में अन्य अभियंताओं के साथ उपरोक्त अभियंताओं के पदस्थापन की भी अनुशंसा की गयी है। उक्त अनुशंसा प्रस्ताव अनुमोदन हेतु माननीय विभागीय मंत्री के समक्ष उपस्थापित है, जो अभी तक अनुमोदन प्राप्त होकर वापस नहीं लौटी है।

5. पदस्थापन की प्रतीक्षा अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न प्रभार रहित अवधि को अल्पत्तम करने निमित्त वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं॰–3445 / वि॰ दिनांक 26.09.2014 की कंडिका–05 (ii) में निम्न निर्णय संसूचित है :–

"अगर प्रस्ताव प्रेषण के 15 दिन के अन्दर सक्षम स्तर से स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है तो वैसी स्थिति में विभागीय सचिव संबंधित पदाधिकारी को उसके वेतनमान् के समतुल्य रिक्त पद पर स्थापना समिति की अनुशसा के अनुरूप औपबंधिक रूप में पदस्थापित कर देंगे।"

6. वित्त विभाग, झारखण्ड के उपरोक्त संकल्प के कंडिका–05 (ii) के आलोक में उपरोक्त अभियंताओं को निम्न रूप से औपबंधिक पदस्थापन किया जाता है :–

क्र॰	पदाधिकारी का नाम / आई॰डी॰ / गृह जिला / जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री नीलमणि तिर्की 3493 / गुमला / 01.12.59	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची	श्री नीलमणि तिर्की के दि॰ 30.11.19 को सेवानिवृत होने के उपरांत श्री रवि सहाय, अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल, राँची मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक) राँची के अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत होगें।

1	2	3	4	5
2	श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल 3438 / भागलपुर / 21.12.59	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण जल विज्ञान प्रमंडल सं॰–04, राँची	
3	श्री आलोक कुमार सी॰ 001 / सरायकेला–खरसावाँ / 27.05.80	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–03, राँची	
4	श्री रघुनन्दन सिंह यादव 3527 / गया / 02.08.59	भवन निर्माण विभाग से सेवा वापस लेते हुए।	प्राक्कलन पदाधिकारी, जल पथ प्रमंडल, बरही	

7. दिनांक 24.07.2019 को विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमित पदस्थापन तदनुसार किया जायेगा।

8. उपरोक्त सभी अभियंताओं को निदेश है कि अविलम्ब रूप से नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर अनुपालन प्रतिवेदनं मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

ह॰/–
(गाजेश्वर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं कार्यालय अभिलेख हेतु इसकी 25 (पचीस) प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह॰/–
(गाजेश्वर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची / उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
(गाजेश्वर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 2773 राँची, दिनांक :– 27/8/19

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची / प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड राँची / प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची / सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर / अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / सभी मुख्य अभियंता / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / संबंधित सभी पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/19
(गाजेश्वर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

D:\PRAMOD-2019\DY. SEC\PRAMOTION & TR. POSTING\Notifaction Woting for Posting AUG 19.docx